

**राजस्थान सरकार**  
**विधि एवं विधिक कार्य विभाग**

क्रमांक: प.22(1)न्याय/21


जयपुर, दिनांक: १.7.21

:: आज्ञा ::

राजस्थान विधि सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण/  
पदस्थापन प्रशासनिक आधार पर एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं:—


क्र.सं.	नाम सर्व श्री/श्रीमती/सुश्री	वर्तमान पदस्थापन स्थान	प्रस्तावित पदस्थापन स्थान	विशेष विवरण
1.	श्रीमती सुलेखा शर्मा	संयुक्त विधि परामर्शी, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक (करापवंचन) राजस्थान वृत्त, जयपुर	श्री पंचोली के स्थान पर
2.	श्री कैलाश नारायण पंचोली	संयुक्त विधि परामर्शी, कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक (करापवंचन) राजस्थान वृत्त, जयपुर	संयुक्त विधि परामर्शी, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	श्रीमती सुलेखा शर्मा के स्थान पर
3.	श्री संग्राम सिंह, सहायक विधि परामर्शी	उप विधि परामर्शी, कार्यालय जिला कलक्टर, जालौर	उप विधि परामर्शी, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर	उप विधि परामर्शी पद के रिक्त के विरुद्ध
4.	श्री चन्द्र शेखर व्यास	सहायक विधि परामर्शी, स्वायत्त शासन विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय बीकानेर	सहायक विधि परामर्शी, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर	श्री आचार्य के स्थान पर
5.	श्री मनमोहन आचार्य	सहायक विधि परामर्शी, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर	सहायक विधि परामर्शी, स्वायत्त शासन विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय बीकानेर	श्री व्यास के स्थान पर
6.	श्री महेन्द्र पाल सिंह	सहायक विधि परामर्शी, ऊर्जा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	सहायक विधि परामर्शी, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर	रिक्त पद पर
7.	श्रीमती रेखा मीणा, वरिष्ठ विधि अधिकारी	सहायक विधि परामर्शी, विधि वादकरण क्रिमिनल सैल, जयपुर	सहायक विधि परामर्शी, ऊर्जा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	श्री सिंह के स्थान पर
8.	श्री चरण सिंह	कनिष्ठ विधि अधिकारी, निदेशक, सम्पदा निदेशालय, जयपुर	कनिष्ठ विधि अधिकारी, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर	रिक्त पद पर

आज्ञा से

  
(पुरुषोत्तम लाल सेनी)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. संबंधित विभाग को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक को तुरन्त प्रभाव से कार्यमुक्त करने का श्रम करावें।
4. उपरोक्त सभी संबंधित अधिकारी/कर्मचारीगण को प्रेषित कर लेख है कि वे इस विभाग के आदेश क्रमांक प.22(4)न्याय/2002 दिनांक 03.07.2002 के अनुसार 7 दिवस में हर सूरत में कार्यमुक्त हो कर अथवा विभाग द्वारा कार्यमुक्त नहीं करने की स्थिति में बिना कार्यमुक्त हुए नव पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करें अन्यथा इसे गम्भीरता से लिया जाकर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी जिसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण रिपोर्ट भी इस विभाग को अविलम्ब भिजवाये।
5. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त शासन सचिव